फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

आई.सी.आई.सी. आई. बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय – आई सी आई सी आई बैंक टावर, चकली सर्किल के पास, पुराना पाड्रा रोड़, बड़ोदरा 390007, गुजरात तथा शाखा कार्यालयः 2 सी – मधुबनी, मधुबन, उदयपुर – 313001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री पंकज चंपावत। **– प्रार्थी बैंक**

बनाम

1. श्री प्रेमशंकर सुथार पिता श्री नंदराम सुथार नि. **(अ)** वार्ड नं. 17, छतरियों के पास, हाथीनाडा रोड़, कांकरोली जिला राजसमंद **(ब)** मकान नं. सी–27, द्वारिका नगर, RHB राजस्व ग्राम–धोईन्दा कांकरोली, राजसमंद जिला राजसमंद (राज.) **–ऋणी**
2. श्रीमती तुलसी देवी पत्नि श्री प्रेमशंकर सुथार नि. **(अ)** वार्ड नं. 17, छतरियों के पास, हाथीनाडा रोड़, कांकरोली जिला राजसमंद **(ब)** मकान नं. सी–27, द्वारिका नगर, RHB राजस्व ग्राम–धोईन्दा कांकरोली, राजसमंद जिला राजसमंद (राज.)

–अप्रार्थीगण/सहऋणी

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 01 /2023**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12/02/2024 प्रार्थी/प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड उदयपुर ने दिनांक 16.01.2023 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 ने बतौर ऋणी प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड से खाता संख्या QZUDP00005040020 से दिनांक 26.10.2016 को 21,77,927/– अक्षरे इक्कीस लाख सतोत्तर हजार नो सौ सताईस रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थी सं. 1 से 2 ने ऋण राशि के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल संपति को प्रार्थी के पक्ष में रहन रखा है और उस पर निर्मित भवन एवं ढॉचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः– **बंधक सम्पत्ति**	

न्यायालय जिला कलक्टर

का विवरण :– श्री प्रेमशंकर सुथार पिता श्री नंदराम सुथार नि. वार्ड नं. 17, छतरियों के पास, हाथीनाडा रोड़, कांकरोली एवं सी – 27, द्वारिका नगर, RHB राजस्व ग्राम – धोईन्दा कांकरोली की द्वारिका नगर, धोईन्दा में स्थित भूमि एवं निर्माण आवासीय संपति मकान नं. सी–27 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर है, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है किः पूर्वः मकान नं. सी–326, पश्चिमः मकान नं. सी–28, उत्तरः मकान नं. सी–6, दक्षिणः रोड़ है। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यक्तिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 11.01.2021 को उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 19,02,773/– अक्षरे उन्नीस लाख दो हजार सात सौ तियोतर रूपये दिनांक 03.06.2021 तक शेष व देय हैं प्रार्थी कम्पनी ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 03.06.2021 को अप्रार्थीगण नोटिस दिया गया। नोटिस की तामिल ट्रेक कंसाईमेंट अनुसार दिनांक 23.06.2021 एवं 24.06.2021 को ऋणी एंव सहऋणी को हो जाने के बावजूद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड को नहीं किया गया हैं। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड चरण संख्या 5 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नोटिस दिनांक 03.06.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को उनके पते पर दिनांक 23.06.2021 एवं 24.06.2021 को तामिल होने के बावजुद भी अप्रार्थीगण/ ऋणी, द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड उदयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण : श्री प्रेमशंकर सुथार पिता श्री नंदराम सुथार नि. वार्ड नं. 17, छतरियों के पास, हाथीनाडा रोड़, कांकरोली एवं सी

– 27, द्वारिका नगर, RHB राजस्व ग्राम–धोईन्दा कांकरोली की द्वारिका नगर, धोईन्दा में स्थित भूमि एवं निर्माण आवासीय संपति मकान नं. सी – 27 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर है, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि: पूर्व: मकान नं. सी – 326, पश्चिम: मकान नं. सी – 28, उत्तर: मकान नं. सी – 6, दक्षिण: रोड़ है।

उपरोक्त प्रकराणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य को दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड उदयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी आई.सी.आई. सी.आई. बैंक लिमिटेड उदयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)